न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :— श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या :— 75/2022

1. छगनलाल पुत्र अखाराम जाति जाट निवासी नत्थूसर बास बीकानेर, हाल आबाद चक 23 बीडी तहसील खाजूवाला

.......प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।

.... अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट
निर्णय दिनांक :—12.6.23

यह प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा में प्रार्थी अधिवक्ता श्री मनीराम जाखड़ द्वारा प्रस्तुत हुआ जिससे संबंधित संक्षिप्त विवरण इसप्रकार है कि प्रार्थी ने वर्ष 1974 में भूमिहीन श्रेणी में भूमि आवंटन करवाने के लिए आवंटन अधिकारी के समक्ष आयोजन प्रस्तुत किया। जिसपर विधिवत रूप से जांच होने के पश्चात दिनांक 30.10.1975 को प्रार्थी के नाम से चक 23 बीडी वर्तमान चक 23 बीडी बी मु0नं0 53/64 के किला नं0 6, 13 ता 19, 21 की 5.10 बीघा कमाण्ड व मु0नं0 73/8 के किलानं0 12 ता 25 की कुल 14.00 बीघा भूमि इसप्रकार दोनो मुरब्बों में कुल 19.10 बीघा भूमि प्रार्थी के नाम से पुख्ता आवंटन की गई थी। जिसका आवंटन आदेश जारी करते समय लिपिकीय भूल से आवंटन आदेश में प्रार्थी के पिता का नाम छगनलाल पुत्र अखाराम के स्थान छगनलाल पुत्र आशाराम दर्ज कर दिया गया। जिसकी दुरस्ती करवाने का निवेदन किया गया है।

सर्वप्रथम प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थनापत्र में तहसीलदार खाजूवाला रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के पिता का नाम उपनिवेशन विभाग के समय से अशुद्ध चल रहा है जिसमें पिता का नाम आशाराम अंकित है एवं आवंटन आदेश छायाप्रति अनुसार अखाराम अंकित है जो शुद्धि किया जाना उचित है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को साक्ष्य/सबूत के तौर पर साबित करते हैं। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज(मूलआवंटन पत्रावली) व तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट के आधार पर वादगत भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में सहवन से दर्ज प्रार्थी के पिता का नाम आशाराम की जगह अखाराम किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र धारा धारा 136 एलआरएक्ट एवं धारा 151 सीपीसी में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुवे स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खाजूवाला को आदेश किया जाता है कि चक 23 बीडी वर्तमान चक 23 बीडी बी मु0नं0 53/64 के किला नं0 6, 13 ता 19, 21 की 5.10 बीघा कमाण्ड व मु0नं0 73/8 के किलानं0 12 ता 25 की कुल 14.00 बीघा कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में सहवन से दर्ज प्रार्थी के पिता का नाम आशाराम की जगह अखाराम नियमानुसार दर्ज किया जावे। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल—दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),

(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)